SC-84
ST-47 > लोकसभा
⇓
M.P-सांसद : अनु-330
MLA—विधायक
MLC—विधायक-विधानपरिषद

संसद के शब्दावलीया

विधेयक - Bill

→ संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित दस्तावेज

सरकारी विधेयक

⇓

मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयक

गैर सरकारी विधेयक

⇓

मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त सदन के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक

विधेयक - ५ प्रकार के है।

1. साधारण विधेयक -
2. धन विधेयक -
3. वित्त विधेयक -
4. संविधान संशोधन विधेयक.

साधारण विधेयक

(1/2+1)

- संसद के किसी भी एक सदन मे प्रस्तुत विधेयक जिसे साधारण बहुमत द्वारा दोनो सदनों से पारित किया जाना आवश्यक है।
- यदि कोई भी सदन उसे रद्द कर सकता है, यदि कोई सदन साधारण विधेयक को 6 माह रोक ले तो भी समाप्त समझा जायेगा।
- यदि साधारण विधेयक पर दोनो सदनों की सहमति नहीं हो तो आवश्यक विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकेगा।

→ आस्ट्रेलिया

↳ 108- संयुक्त अधिवेशन :

संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है।

प्रथम बार दहेज प्रतिषेध अधि. 1961 पर बुलाया गया था।

1978 बैंककेधन

2002- POTA-

↳ साधारण विधेयक पर जब दोनो सदन एक मत नही हों

↳ संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा।

↳ इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी अनुपस्थिति मे लोक सभा उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति मे राज्य सभा का उप सभा पति करेगा।

↳ लोकसभा के सेन्ट्रल हॉल मे संचालन होगा।

↳ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नही होगा

अनु० -110
धन विधेयक :-
Money Bill

भारत के संचित निधि में जमा धन के आय और व्यय के लिए लाया गया विधेयक धन विधेयक है।

संचित निधि में : कर (Tax) का धन, विदेश से लिए गये कर्ज का धन विदेश को दिए गए कर्ज से प्राप्त ब्याज का धन, इसमें जमा होता है।

→ नये कर Tax को लागू करने या समाप्त करने सम्बंधित प्रावधान या विदेश से कर्ज लेने सम्बंधी प्रावधान धन विधेयक होगा।

- धन विधेयक को लोकसभा मे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर प्रस्तुत किया जाता है।
- धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अन्तिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा।
- धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है।

③ - वित्त विधेयक :- अनु-117

Finance-Bill

धन सम्बंधी, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य प्रावधान, वित्त विधेयक कहलाता है।

↳ वित्त विधेयक संसद के किसी भी एक सदन मे प्रस्तुत और दोनो सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा।

5- संविधान संशोधन विधेयक :- → द० अफ्रीका
अनु- 368

Note :- धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

↳ संविधान में नये प्रावधान शामिल करना, पुराने प्रावधान को समाप्त करना या उसमें परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है।

↳ संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है।

1. विशेष बहुमत से :- 2/3
2. संघ व राज्य के बहुमत से → संघ के संसद + आधे से एक अधिक राज्य की सहमति। (राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल)
3. साधारण बहुमत से

* साधारण बहुमत से किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा।